

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
-:: अधिसूचना ::-**

राँची, दिनांक-

सं०सं०-15/सा०अव०-03-01/2019 का.-...../ मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1206 दिनांक-10.03.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में लोक सभा आम चुनाव, 2019 के मतदान के अवसर पर निम्नांकित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथियों को संबंधित क्षेत्रों में निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। संबंधित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक प्रतिष्ठान निम्नलिखित नियत तिथि को बन्द रहेंगे :-

मतदान का चरण	क्र०	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	मतदान की तिथि
चतुर्थ चरण	1.	4-चतरा	29.04.2019 (सोमवार)
	2.	12-लोहरदगा (अ०ज०जा०)	
	3.	13-पलामू (अ०जा०)	
पंचम चरण	4.	5-कोडरमा	06.05.2019 (सोमवार)
	5.	8-राँची	
	6.	11-खूँटी (अ०ज०जा०)	
	7.	14-हजारीबाग	
षष्ठम चरण	8.	6-गिरिडीह	12.05.2019 (रविवार)
	9.	7-धनबाद	
	10.	9-जमशेदपुर	
	11.	10-सिंहभूम (अ०ज०जा०)	
सप्तम चरण	12.	1-राजमहल (अ०ज०जा०)	19.05.2019 (रविवार)
	13.	2-दुमका (अ०ज०जा०)	
	14.	3-गोड्डा	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुनीत कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-15/सा०अव०-03-01/2019 का.-2684/

राँची, दिनांक-29/3/19

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सुनीत
29/3/19

सरकार के अवर सचिव।